



द्वारा - ईमेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांक:पैरामेडि.कौं/परीक्षा-कन्डक्ट/2023/6164

दिनांक: 20/10/2023

-::सार्वजनिक सूचना::-

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के अधिनियम 2008 के तहत गठित राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा संचालित पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की द्वितीय वर्ष रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2018-19 एवं 2016-17 व 2017-18 की परीक्षाएँ माह-सितम्बर-2023 के प्रवेश-पत्र वेबसाईट www.rpcraj.net द्वारा कॉलेज पोर्टल पर दिनांक 23.10.2023 प्रातः 10:00 बजे से 30.10.2023 को प्रातः 10:00 बजे तक उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी कॉलेज/महाविद्यालय से सम्पर्क कर प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

समस्त सम्बन्धित अभ्यर्थी ध्यान देवें :-

1. प्रवेश-पत्र प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होंगे।
2. यदि किसी प्रवेश-पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर सम्बन्धी विसंगति हो तो अभ्यर्थी फोटो चस्पा कर, फोटो अथवा हस्ताक्षर जिसमें विसंगति हो, को सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा आवश्यक रूप से सत्यापित किये जाने के पश्चात् ही परीक्षा के बैठने दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर सत्यापित प्रवेश-पत्र, कॉलेज आई.डी., आधार कार्ड, फोटो युक्त अन्य आई.डी. लेकर जावेगें।
4. परीक्षा केन्द्रों पर अवांछित सामग्री लेकर न जावें।
5. परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थित होंवें।
6. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की वेबसाईट www.rajasthanparamedicalcouncil.org एवं www.rpcraj.net पर उपलब्ध टाईम-टेबल एवं अभ्यर्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देश अवश्य देखें।
7. परीक्षा शुरू होने के आधा घन्टा पश्चात परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं परीक्षा पूर्ण होने से पहले परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना है।

(परीक्षा नियंत्रक)

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,
जयपुर।

दिनांक: 20/10/2023

क्रमांक:पैरामेडि.कौं/परीक्षा-कन्डक्ट/2023/6164

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. एजेन्सी को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. प्रधानाचार्य, समस्त पैरामेडिकल कॉलेज/संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि सूचना को कॉलेज/संस्थान के "सूचना पट्ट" पर चस्पा करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

(परीक्षा नियंत्रक)

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,
जयपुर।